175

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 804—दो/2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 03—03—2006 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 166/अ—56/अपील/2003—04

.....

सूरा तनय फद्दू बसौर
निवासी—ग्राम सरानी तहसील व
जिला—छतरपुर(म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

1— देशराज तनय पुन्न बसौर
निवासी—ग्राम सरानी तहसील व
जिला—छतरपुर(म0प्र0)

2— ग्राम पंचायत सरानी तहसील व
जिला—छतरपुर(म0प्र0)

..... अनावेदकगण

.....

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1

.....

आदेश

(आज दिनांक १८-११-२०१६ को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03—03—2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्रामवासी एवं सरपंच ग्राम पंचायत सरानी ने ग्राम चौकीदार सरानी के विरूद्ध शिकायत करने पर तहसीलदार छतरपुर द्वारा न्यायालयीन प्र0क्र0 1—अ/56/1994—95 में पारित आदेश दिनांक 24.06.95 द्वारा अनावेदक क्र0 1 देशराज को कोटवार पद से पृथक किया गया। इस आदेश के विरूद्ध देशराज द्वारा अनुविभागीय अधिकारी

के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने न्यायालयीन प्र0क्र0 46/अपील/94–95 में पारित आदेश दिनांक 30.09.95 द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण प्रत्यावर्ति किया। तदोपरांत तहसीलदार द्वारा प्रकरण में सुनवाई आदि का अवसर देने के बाद आदेश दिनांक 24.12.97 द्वारा रिक्त कोटवार के पद पर सूरा बसौर को अस्थायी कोटवार नियुक्त किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र0 1 देशराज द्वारा पुनः अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 215/अपील/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 16–12–2003 द्वारा अपील स्वीकार करते हुये तहसीलदार छतरपुर का उक्त आदेश निरस्त किया व अनावेदक क्र0 1 देशराज को कोटवार के पद पर नियुक्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश से दुखित होकर आवेदक द्वारा अपील न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, साग के समक्ष पेश की गई, जो प्र0क्र0 166/अ–6/56/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2006 अपील ठोस आधार के अभाव में निरस्त किया गया। अपर आयुक्त की इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि अनावेदक क्र0 1 देशराज द्वारा मूल न्यायालय में पारित आदेश के विरूद्ध बिना समुचित कारण एवं प्रमाण के करीब 6 वर्ष पश्चात प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। आवेदक की नियुक्ती सम्बन्धी आदेश को अनुचित रूप से बिना विधिसंगत आधार के निरस्त कराने के लिये प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने मूल न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य एवं अन्य विधिक प्रश्नों का सुचित अवलोकन नहीं कर अपील का निराकरण किया है। अनुविभागीय अधिकारी के अपील न्यायालय ने अनावेदक क्र0 1 के पक्ष में नियुक्ती आदेश जारी कर कानूनी त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक क्र0 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया । अनावेदक क्र0 2 के संबंध में आवेदक द्वारा बताया गया कि वे फॉरनल पक्षकार है। अतः उन्हें आहूत किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता

है कि अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर द्वारा अनावेदक क्र0 1 देशराज को सुनकर गुण–दोषों के आधर पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था। तहसीलदार के समक्ष आये साक्ष्य में आवेदक को निर्दोष पाया गया। साक्ष्य आदि लेने के बाद तहसीलदार ने पुनः आवेदक सूरा का आवेदन–पत्र पर ग्राम पंचायत की राय ली गई। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रत्यावर्तित आदेश के निर्देशों के विपरीत कार्यवाही की गई, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर द्वारा कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की गई है। अपर आयुक्त सागर ने भी अपने विस्तृत आदेश में इसकी पुष्टि की है। मै अपर आयुक्त सागर के निर्णय से सहमत हूँ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र जो कि अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई थी, सारहीन है। आवेदक ने अपने पक्ष समर्थन में ऐसा कोई ठोस आधार अथवा प्रमाण न तो इस न्यायालय में पेश किये है और न ही अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये, जिससे की यह साबित हो सके कि उक्त कोटवार पद के लिये आवेदक उपयुक्त है। परिणामतः अपर आयुक्त सागर संभाग के अपने प्रकरण क्रमांक 166/अ–56/अपील/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 03–03–2006 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी ठोस आधार के अभाव में निरस्त की जाती है । तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर